नीति:		
वल्नेरेबल विक्टिम्स एंड विटनेसेज – ऐडल्ट (कमजोर स्थिति वाले पीड़ित और गवाह – वयस्क)		
नीति कोड:	प्रभावी होने का दिनांक:	पार-संदर्भ:
VUL 1	मार्च 1, 2018	CHA 1 DIR 1

सिद्धांत

बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस मानती है कि कमजोर स्थिति वाले वयस्क पीड़ितों और गवाहों के समक्ष जटिल समस्याएं होती हैं और ऐसे मामलों की पहचान की जानी चाहिए तथा जो मुद्दे उठते हैं उनका समाधान अभियोजन के शुरू में जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। ऐसा करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के मामलों में सभी पीड़ितों और गवाहों को, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, फौजदारी न्याय प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर मिले।

इस नीति के उद्देश्य के लिए, गंभीर मामले वे हैं, जैसे कि "गंभीर व्यक्तिगत शारीरिक नुकसान" के अपराध जो *क्रिमिनल कोड* की धारा 752 में निर्धारित किए गए हैं, और इसी तरह के उल्लेखनीय मामले जिनमें जोखिम या नुकसान शामिल है चाहे वह शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक, या शोषण किसी भी प्रकृति का हो।

इस नीति में, व्यक्तियों को वयस्क कमजोर पीड़ित स्थिति वाले गवाह माना जाता है, जहां उनकी अनूठी व्यक्तिगत विशेषताओं या परिस्थितियों, और मामले में उनकी भूमिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस बात की पर्याप्त संभावना होती है कि न्याय प्रणाली में उस व्यक्ति की प्रभावी भागीदारी काफी सीमा तक कम हो जाएगी, अथवा समाप्त हो जाएगी, यदि रियायत अथवा सहायता उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।

पीड़ितों और गवाहों की प्रासंगिक विशेषताओं या परिस्थितियों में जो कि फौजदारी न्याय प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं, निम्नलिखित हैं:

- अधिक उम्र
- यौन रुझान, लैंगिक पहचान, अथवा लैंगिक अभिव्यक्ति
- किसी पीड़ित या गवाह पर अपराधकर्ता की शक्ति
- मानसिक स्वास्थ्य अथवा विकलांगता
- शारीरिक स्वास्थ्य अथवा विकलांगता

- नशीले पदार्थों की लत
- जातीय, धार्मिक, या सांस्कृतिक दृष्टिकोण
- अनिश्चित कानूनी स्थिति (जैसे कि आप्रवासन स्थिति या न्यायालय के बकाया आदेश)
- संप्रेषण की महत्वपूर्ण बाधा(एं)
- सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण चिंताएं
- सामाजिक पृथक्करण, अत्यधिक गरीबी, या बेघर होना
- दुरुपयोग का उल्लेखनीय इतिहास

आदिवासी लोगों के साथ ऐतिहासिक व्यवहार एवं उनकी सांस्कृतिक भिन्नता के कारण या पीड़ित या गवाह की आदिवासी विरासत से संबंधित वर्तमान परिस्थितियों के कारण आदिवासी पीड़ित या गवाह की स्थिति विशिष्ट रूप से कमजोर हो सकती है।

हिंसा, शोषण और अप्रतिष्ठा के माहौल के कारण वेश्यावृत्ति में लगे व्यक्तियों की स्थिति विशेष रूप से कमजोर हो सकती है।

प्रक्रिया

गंभीर मामलों में, कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों और गवाहों की सहायता के लिए ताकि वे फौजदारी न्याय प्रक्रिया में प्रभावी रूप से सहभागिता कर सकें, क्राउन वकील को चाहिए कि वह:

1. स्वयं पहल करते हुए अभियोजन के प्रारंभिक चरणों से लेकर उसके निष्कर्ष तक, कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों और गवाहों के साथ बातचीत स्थापित करने और बनाए रखने के लिए, तथा उन्हें अभियोजन की स्थिति के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए उचित प्रयास करे
2. पूरी अभियोजन प्रक्रिया के दौरान, जहां व्यावहारिक हो, आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर उपलब्ध किसी भी सहायता के बारे में कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों और गवाहों को जानकारी देने के लिए पुलिस, शेरिफ, परिवीक्षा अधिकारी अथवा पीड़ित सेवा (विक्टिम सर्विसेज़) के साथ मिलकर काम करे
3. सुनिश्चित करे कि प्रकाशन प्रतिबंधों, गवाही या प्रमाणन संबंधी सुविधाओं, अथवा सुरक्षा आदेशों के लिए न्यायालय में उचित आवेदन दिए जाएं
4. जहां उपयुक्त हो, प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सभी उचित कदम उठाए, जिसमें शीघ्र समाधान चर्चा शुरू करना या जल्दी सुनवाई की तारीख के लिए अनुरोध करना शामिल है।

ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल को सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया लागू हों:

1. इस प्रकार के मामलों की शीघ्र पहचान करना और उन्हें निर्दिष्ट करना

2. जहां भी व्यावहारिक हो, ऐसे क्राउन काउंसल को निर्दिष्ट करना जिसने प्रासंगिक विशेषज्ञता वाला प्रशिक्षण प्राप्त किया हो

3. जहां भी व्यावहारिक हो, शुरुआत से अंत तक इन फाइलों पर एक ही क्राउन काउंसल द्वारा कार्य करवाना

4. इन फाइलों की अतिरिक्त जटिलता को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किए गए क्राउन काउंसल को सुनवाई की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना।

शुरूआती महत्वपूर्ण बातें

क्राउन काउंसल को प्रथम अवसर पर ही *क्रिमिनल कोड* की धारा 486.4 अथवा 486.5 के तहत एक आदेश के लिए आवेदन करने पर विचार करना चाहिए, जिसमें निर्देश हो कि पीड़ित या गवाह की पहचान और कोई भी जानकारी जो कि पीड़ित या गवाह की पहचान का खुलासा कर सकती हो, किसी भी दस्तावेज़ में प्रकाशित नहीं की जाएगी या किसी भी तरह से प्रसारित नहीं की जाएगी।

विरले मामलों में, जहां उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल *क्रिमिनल कोड* की धारा 486.31 के तहत एक आदेश हेतु आवेदन देने पर भी विचार कर सकता है, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि गवाह की पहचान करा सकने वाली किसी भी जानकारी को कार्यवाही के दौरान प्रकट न किया जाए अथवा *क्रिमिनल कोड* की धारा 486.7 के तहत एक आदेश हेतु आवेदन देने पर भी विचार कर सकता है, ताकि गवाह को सुरक्षा दी जा सके। इस प्रकार का आवेदन देने से पहले, क्राउन काउंसल को किसी रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी से परामर्श करना चाहिए।

जहां किसी मानसिक या शारीरिक विकलांगता के कारण कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह को प्रमाण बताने में कठिनाई हो, वहां क्राउन काउंसल को अभियोजन के शुरूआती चरण में ही विचार करना चाहिए कि क्या वीडियो टेप द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा, जैसी कि *क्रिमिनल कोड* की धारा 715.2 में व्यवस्था है और, यदि आवश्यक हो, तो पुलिस से वीडियो बयान प्राप्त करने का अनुरोध करना चाहिए। इस धारा के तहत, एक कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह का रिकार्ड किया गया विडियो बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जहां पीड़ित या गवाह वीडियो रिकॉर्डिंग की सामग्री को प्रमाणित और स्वीकार करता है।

जहां इस प्रकार की प्रक्रिया या जांच संबंधी बाधा उत्पन्न होती है जो अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हो, वहां क्राउन काउंसल को पुलिस और पीड़ित सेवा के साथ और यदि आवश्यक हो, तो वरिष्ठ पुलिस प्रबंधन और ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि समय पर प्रकार की बाधाओं को दूर किया जा सके। इनमें निम्नलिखित पर आधारित बाधाएं शामिल हो सकती हैं:

- एक अनिच्छुक कमजोर स्थिति वाला पीड़ित अथवा विरोधी गवाह
- किसी कमजोर पीड़ित या गवाह की जगह पता करने या उसके साथ संचार बनाए रखने में कठिनाई
- न्यायालय या क्राउन काउंसल कार्यालय तक परिवहन प्राप्त करने में असमर्थता
- फाइल सामग्री के अनुवाद की आवश्यकता
- आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करने में विलंब

जहां क्राउन काउंसल तय करता है कि एक कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह की सामाजिक सहायता या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिनके कारण फौजदारी न्याय प्रक्रिया में भाग लेने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, वहां क्राउन काउंसल को यह जानने के लिए पुलिस और पीड़ित सेवा पूछना चाहिए कि क्या कोई ऐसी सामाजिक सहायता या सेवाएं हैं जो इस समस्या को हल कर सकती हों।

उन मामलों में जहां किसी कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह के लिए नुकसान का उल्लेखनीय खतरा हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो या शारीरिक, और यह मानना तर्कसंगत हो कि यदि उसे एकाधिक न्यायिक कार्यवाहियों में भाग लेना पड़े तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहां क्राउन काउंसल को *डायरेक्ट इन्डाइटमेंट* (DIR 1) की नीति की प्रयोज्यता पर विचार करना चाहिए।

आरोप का निर्धारण

क्राउन काउंसल को समय पर आरोप निर्धारण निर्णय लेने चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विलंब होने से कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों या गवाहों का भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है और फौजदारी न्याय प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने का उनका संकल्प या उनकी क्षमता कमजोर पड़ सकते हैं।

क्राउन काउंसल को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि, जनहित का निर्धारण करते समय, यह प्रमाण कि पीड़ित एक कमजोर स्थिति वाला व्यक्ति है, *चार्ज असेसमेंट गाइडलाइन्स* (CHA 1) की नीति के तहत अभियोजन के पक्ष में एक कारक होता है।

जहां किसी आरोपी पर आरोप तय न करने का निर्णय लिया जाए, वहां क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या *क्रिमिनल कोड* की धारा 810.2, 810.1 अथवा 810.2 के तहत जमानत (रिकाग्निजेंस) का मांगना उचित होगा, जिसमें करेक्शंस ब्रांच द्वारा प्रशातित निगरानी तथा काउंसलिंग शर्तें शामिल हो सकती हैं।

जमानत (बेल)

जब भी हिरासत आदेश अथवा रिहाई की शर्तों की मांग करके किसी कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह की सुरक्षा आवश्यक हो, वहां वारंट की मांग की जानी चाहिए। जहां यह संभावना हो कि कोई आरोपी रिहा हो सकता है, क्राउन काउंसल को यह विचार करना चाहिए कि कौन सी शर्तों से कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह को सुरक्षा योजना में सहायता मिलेगी, और वह ऐसी शर्तों को तैयार करने में पुलिस, पीड़ित सेवा, अथवा करेक्शंस अथवा परिवीक्षा कार्मिकों से परामर्श कर सकता है। जहां आरोपी को हिरासत में लिया जाता है, वहां क्राउन काउंसल को *क्रिमिनल कोड* की धारा 515 (12) अथवा 516 (2) के अनुसार पीड़ित, गवाह अथवा अन्य उपयुक्त व्यक्ति के संबंध में एक "कोई संपर्क नहीं" (नो कान्टेक्ट) आदेश प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए।

अनिच्छुक गवाह

क्राउन काउंसल को यह समझना चाहिए कि कमजोर स्थिति वाले पीड़ित और गवाह फौजदारी न्याय प्रक्रिया में भाग लेने के अनिच्छुक हो सकते हैं। वे अपने साक्ष्य को कम से कम कर सकते हैं या वापस लेने का प्रयास कर सकते हैं। अनेक प्रकार के कारक सहयोग करने की उनकी इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं। क्राउन काउंसल को प्रमाणित करने के संबंध में उनके किसी भी संकोच के कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए और मुद्दों के समाधान की रणनीतियां तैयार करनी चाहिए। क्राउन काउंसल को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विशेषकर कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों और गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है, उन्हें डराया जा सकता है, और बाधित किया जा सकता है।

यदि किसी गवाह को धमकाया गया है अथवा बाधित किया गया है, तो क्राउन काउंसल को चाहिए कि वह जांच के लिए मामला पुलिस को रेफर कर दे।

उपरोक्त के प्रकाश में, क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि यह आवश्यक और उचित होगा कि कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों या गवाहों को प्रमाणित करने के लिए व्यक्तिगत रूप सम्मन दिया जाए। तथापि, ऐसे मामलों में, मटीरियल विटनेस वारंट के लिए आवेदन करने से पहले, क्राउन काउंसल को ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल से परामर्श करना चाहिए। इसके अलावा, क्राउन काउंसल को यह विचार करना चाहिए कि क्या गवाह के साक्ष्य के बिना अन्य उपलब्ध साक्ष्य के साथ साक्ष्य आधारित एवं जनहित परीक्षण (CHA 1) पूरे किए जा सकते हैं।

सुनवाई की तैयारी

जहां व्यावहारिक हो, क्राउन काउंसल को उन छूटों या सुविधाओं के बारे में गवाह को सूचित करना चाहिए जो क्रिमिनल कोड की धारा 486 से 486.31 और 486.7 के तहत उपलब्ध हो सकती हैं। जहां उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह भी शामिल है कि गवाह किसी छूट के लिए अनुरोध करता है या नहीं, एक आदेश के लिए आवेदन करना चाहिए।

उपयुक्त परिस्थितियों में, न्यायालय निम्नलिखित के लिए आदेश दे सकता है:

- जनता को बाहर रखने के लिए अथवा यह कि गवाह सावर्जनिक तौर पर न दिखाई दे [धारा 486(1)]
- किसी सहायता करने वाले व्यक्ति के लिए (धारा 486.1)
- गवाह द्वारा एक अलग कमरे से या पर्दे या अन्य युक्ति के पीछे से गवाही देने के लिए (धारा 486.2)
- नियुक्त किए गए काउंसल द्वारा जिरह कि लिए (जहां आरोपी का वकील न हो) (धारा 486.3)
- किसी गवाह की पहचान का खुलासा न करने के लिए (धारा 486.31)
- जिसे न्यायालय तय करे कि वह गवाह की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और अन्यथा न्याय के उचित प्रशासन के हित में हो (धारा 486.7)

कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स की धारा 13 और 19 में व्यवस्था है कि सभी पीड़ितों को यह अधिकार है कि वे अपराध के संबंध में गवाह के रूप में पेश होते समय, कानून में दी गई प्रक्रियाओं के माध्यम से, प्रमाणित करने में सहायक चीजें मांग सकते हैं।

पुष्टि करने वाले प्रमाण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुनवाई में सभी पुष्टि करने वाले प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं, क्राउन काउंसल को उचित प्रयास करने चाहिए।

सजा देना

विक्टिम्स ऑफ क्राइम एक्ट की धारा 4, तथा *कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स*की धारा 15 और 19 के अनुसार, पीड़ितों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे पीड़ित प्रभाव विवरण तथा जानकारी उपलब्ध कराएं।

क्रिमिनल कोड की धारा 718.2 में दिए गए प्रेरक कारकों सहित, सभी प्रेरक कारक न्यायालय के ध्यान में लाए जाने चाहिए।

जहां परिवीक्षा अथवा सशर्त सजा का आदेश उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल को ऐसी शर्तें प्राप्त करनी चाहिए जिनसे कमजोर स्थिति वाले पीड़ित और गवाह को सुरक्षा मिलती हो। इनमें "कोई संपर्क नहीं" और रिपोर्ट करने की आवश्यकताएं शामिल हो सकती हैं, और साथ ही किसी उपयुक्त उपचार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल हो सकता है।

जहां हिरासत की सजा उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल को धारा 743.21 के तहत एक संप्रेषण से मनाही का आदेश प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए जिसमें अपराधकर्ता के लिए सजा की हिरासत अवधि के दौरान कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह के साथ संप्रेषण करना निषिद्ध हो।

क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या *क्रिमिनल कोड* की धारा 738 अथवा 739 के तहत क्षतिपूर्ति आदेश (रेस्टिट्यूशन ऑर्डर) उचित रहेगा और पीड़ितों को यह बताने का अवसर देने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए कि क्या वे अपने घाटे और क्षतियों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं।